मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 203/2025

1. विष्णु पुत्र कृष्णलाल
2. अंगूरी देवी पत्नी कृष्णलाल

} जाति विश्नोई लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र खिराज जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. शिल्पा पुत्री कृष्णलाल पत्नी रविन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं.03 चक 8 डीबीएन सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 25/09/2025

वादीगण की ओर से श्री राकेश कुमार पूनिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री तरसेम सिंह सिद्धू अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे **आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर **पीलीबंगा** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की **जाती है** कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **की धारा** 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

क. वादी प्रथम पक्ष सं. 1 को प्राप्त भूमि–तहसील पीलीबंगा **के चक** 8 एलकेएस के खाता सं. 22/19 के प.नं. 3/275 (20) किला नं. 16/1, 16/2, **17 ता 20 की** 1.265 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला का खातेदार काश्तकार घोषित किया **जाता है।**

ख. वादीया प्रथम पक्ष सं. 2 को प्राप्त भूमि–तहसील **पीलीबंगा** के चक 8 एलकेएस के खाता सं. 22/19 के प.नं. 4/277 (35) किला नं. **1 ता 4, 5**/1, 5/2 **की** कुल 1.265 हैक. अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व **पीलीबंगा** को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घुघर, वन विभाग, जोहड **पायतन, आराजीराज** न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, **धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त** प्रकार के भार मुक्त होनें तथा **किसी प्रकार के राजस्व हानि** न होनें की **दशा मे स्थिति में उक्तानुसार** राजस्व रिकॉर्ड **मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान** कायम **किया जावे तथा** भूमि की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
पीलीबंगा। हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested